कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद, जिला बालोद (छ0ग0)

फोन एवं फैक्स नं. : 07749–223077 ई–मेल : balod.court@nic.in

।। सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन ।।

क्रमांक–2868/दो–11–1/2013(ए)(3) बालोद, दिनांक– 13/12/2022

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि– 20.01.2023 की संध्या 5.00 बजे तक
(केवल, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद की स्थापना में निम्नानुसार, स्टेनोग्राफर हिन्दी एवं सहायक ग्रेड–तीन के रिक्त पदों की सीधी भर्ती से पूर्ति हेतु, भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :–

रिक्त पदों का विवरण																		
क्रं.	रिक्त पद का नाम	कुल रिक्त पद	पदों के आरक्षण का विवरण															
			अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अनारक्षित			
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	स्टेनोग्राफर हिन्दी	01	....	....	....	....	01	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
02	सहायक ग्रेड–3	02	....	....	....	....	....	....	....	....	01	....	....	....	01	....	....	....

महत्वपूर्ण टीप :– 1. पदों की संख्या परिवर्तनीय है।

2. परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद, जिला– बालोद (छ0ग0) के पास सुरक्षित होगा।

–:: भर्ती की पात्रता एवं शर्ते ::–

{01} स्टेनोग्राफर {हिन्दी} के पद के लिये–

(1) वेतनमान – वेतन मैट्रिक्स लेवल – 7 (रूपये 28700–91300)

(2) शैक्षणिक योग्यता –

{अ} किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो।

{ब} छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।

{स} किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन {डी.सी.ए.} प्रमाण पत्र के साथ एम.एस.वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम् कम्प्यूटर ज्ञान।

{द} हिन्दी कम्प्यूटर टायपिंग में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए।

{02} <u>सहायक ग्रेड–तीन (साक्ष्य लेखक एवं आदेशिका लेखक) के पद के लिये–</u>

(1) वेतनमान – वेतन मैट्रिक्स लेवल – 4, (रूपये 19500–62000)

(2) <u>शैक्षणिक योग्यता</u> –

{अ} किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो।

{ब} किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन {डी.सी.ए.} प्रमाण पत्र के साथ एम.एस.वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम् कम्प्यूटर ज्ञान ।

{स} हिन्दी कम्प्यूटर टायपिंग में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए। (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी।)

<u>आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें:–</u>

{1} **<u>आयु सीमा :–</u>**

उपरोक्त पदों के लिये ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी आयु 01 दिसम्बर, 2022 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हों, परन्तु छ.ग. के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के लिये उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला इत्यादि के लिये अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वे छूट यथावत् लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा **45 वर्ष** से अधिक नहीं होगी।

छ0ग0 राज्य के बाहर अन्य राज्य के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी।

आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिये हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी के प्रमाण पत्र, जिनमें जन्म तिथि का उल्लेख हो, मान्य होंगे। जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

{2} **अन्य शर्तें :–**

1. रोजगार कार्यालय में उनका जीवित पंजीयन होना चाहिए। {कार्यरत शासकीय सेवकों के लिये लागू नहीं है}

2. स्टेनोग्राफर (हिन्दी) एवं सहायक ग्रेड–तीन के चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति 03 वर्ष (तीन वर्ष) की परीविक्षा अवधि पर की जावेगी इस परीविक्षाधीन अवधि पर नियुक्त सेवकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम 70%, 80%, 90%,राशि स्टायपेण्ड के रूप में देय होगा, किंतु परीविक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों के तरह प्राप्त होंगे।

3. चयनित उम्मीदवारों को बालोद जिले के जिला न्यायालय/बाह्य न्यायालयों में नियुक्ति की जा सकेगी।

4. चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने की दशा में चयनित उम्मीदवार को सूचना दिये बिना उसकी सेवा समाप्त की जाकर दाण्डिक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी।

5. उपरोक्त पदों पर नियुक्ति आदेश उपरांत पद–भार ग्रहण करने के पूर्व, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. आवेदन करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य है।

7. जो अभ्यर्थी शासकीय सेवा/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8. कोई पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नि जीवित हो और कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नि जीवित है वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने का विशेष कारण है, तो ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दिया जा सकेगा।

9. कोई भी अभ्यर्थी जिसे किसी अपराध का सिद्व दोष ठहराया गया हो वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

10. अभ्यर्थी को किसी उच्च न्यायालय, शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत किया गया हो तो वह अपात्र माना जायेगा।

–: आवेदन प्रस्तुत करने की प्रकिया :–

{1} आवेदन पत्र, विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुये आवेदन पत्र बंद लिफाफे में जिस पर, वह आवेदित पद, जिसके लिए आवेदन किया गया हो, स्पष्ट रूप से उल्लेखित कर

प्रेषित किया जावे। जैसे कि – **स्टेनोग्राफर हिन्दी/सहायक ग्रेड–3 के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो।** प्रेषित किया जाने वाला आवेदन पत्र, **कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद, जिला – बालोद {छ0ग0}** के पता पर प्रेषित किया जावे। **केवल वह आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जाएंगे, जो कि स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किये गये हों और इस कार्यालय को दिनांक 20.01.2023 की संध्या 05.00 बजे तक प्राप्त हो गये हों।** इसके अलावा अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त हुए आवेदन पत्र पर कोई विचार नही किया जाएगा। **दिनांक 20.01.2023 की संध्या 5.00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।**

{2} आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास, दिव्यांगता आदि से संबंधित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।

{3} ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा लिफाफे के ऊपर आवेदित पद एवं आरक्षित वर्ग का नाम लिखना अनिवार्य है। अभ्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक से अधिक पद हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहते है तो वे एक ही तिथि में पृथक–पृथक आवेदन प्रेषित करें।

{4} जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाईस्कूल या हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंक सूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

{5} ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत् है, उन्हें अपने वर्तमान नियोक्ता/विभाग प्रमुख से उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

{6} आवेदन पत्र में स्वतः का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित रंगीन फोटो , स्वप्रमाणित किया हुआ चस्पा होना चाहिये तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड या वोटर कार्ड या ड्रायविंग लायसेंस या पेन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

{7} पंजीकृत डाक या स्पीड डाक पोस्ट के द्वारा भेजे गये आवेदन पत्रों के विलंब से प्राप्त होने या नहीं प्राप्त होने की जवाबदारी इस कार्यालय की नहीं होगी।

{8} ई–मेल व फैक्स के द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

{9} बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा।

{10} आवेदक को चाहिए की वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी सही एवं पूर्ण रूप से भरे। आवेदन पत्र में त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर उसे निरस्त किया जा सकेगा।

–:: नियुक्ति हेतु चयन विधि ::–

1. स्टेनोग्राफर हिन्दी –

(अ) **लिखित परीक्षा** – लिखित परीक्षा के अंतर्गत सामान्य हिन्दी, अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक, कम्प्यूटर आदि से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा सकेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की कुल संख्या 50 होगी। जिसमें प्रत्येक प्रश्न, 02 अंक का होगा। इस तरह यह लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची से एक पद के विरूद्ध 10 गुणा उम्मीद्वारों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।

(ब) **कौशल परीक्षा** – उम्मीदवारों से 100 (एक सौ) शब्द प्रति मिनट की गति से 03 (तीन) मिनट का करीब 300 (तीन सौ) शब्द का हिन्दी श्रुतलेख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 20 (बीस) मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिये आधा अंक (1/2) काटा जावेगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 150 अंक का होगा। **कौशल परीक्षा उबन्टू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे आफिस** में टाईप करना होगा।

टीपः– स्टेनोग्राफर हिन्दी पद के आवेदित एक पद के विरूद्ध कम संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में चयन समिति यथा समय उचित निर्णय लेते हुए नियम बना सकती है।

2. सहायक ग्रेड–तीन (साक्ष्य लेखक एवं आदेशिका लेखक) –

(अ) **लिखित परीक्षा** – लिखित परीक्षा के अंतर्गत सामान्य हिन्दी, अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक, कम्प्यूटर आदि से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा सकेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की कुल संख्या 50 होगी। जिसमें प्रत्येक प्रश्न, 02 अंक का होगा। इस तरह यह लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची से एक पद के विरूद्ध 10 गुणा उम्मीद्वारों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।

(ब) **कौशल परीक्षा** – उम्मीदवारों को लगभग 250 (दो सौ पचास) शब्द के गद्यांश को निर्धारित समय 10 (दस) मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिये आधा अंक (1/2) काटा जावेगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 125 (एक सौ पच्चीस) अंक का होगा। कौशल परीक्षा **उबन्टू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे आफिस** में टाईप करना होगा।

टीपः– सहायक ग्रेड–03 पद के आवेदित दो पद के विरूद्ध कम संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में चयन समिति यथा समय उचित निर्णय लेते हुए नियम बना सकती है।

–:: चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची ::–

(01) स्टेनोग्राफर हिन्दी एवं सहायक ग्रेड–3 के पद पर चयन हेतु केवल कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर ही वर्गवार मेरिट सूची तैयार करते हुए चयन सूची तैयार की जायेगी तथा नियमानुसार वर्गवार प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी।

(02) प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

(03) समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी। जन्मतिथि समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस आवेदक का नाम प्रथम आयेगा, उनका चयन किया जावेगा।

–:: महत्वपूर्ण निर्देश ::–

{1} चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

{2} चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद का होगा।

{3} चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा।

{4} आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छ.ग. रायपुर से सत्यापित न होने की दशा में संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छ.ग. रायपुर से सत्यापित कराया जायेगा।

{5} चयनित उम्मीदवारों के, जिसे नियुक्ति आदेश जारी किये गये हो, कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात् पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जायेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

{6} चयन प्रकिया के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

{7} उक्त नियुक्ति, आरक्षण के संबंध में माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा रिट पिटीशन कमांक (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन किया जावेगा।

{8} यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।

{9} जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जायेगी।

{10} आवेदक जिला न्यायालय की वेबसाइट districts.ecourts.gov.in/balod से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा हेतु उपस्थित हो सकेगें। पृथक से कोई प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया जावेगा। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी के फोटोग्राफ कॉलम में वर्तमान रंगीन फोटो चस्पा एवं स्वहस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही पहचान संबंधी दस्तावेज, जैसे कि आधार कार्ड या ड्रायविंग लायसेंस या मतदाता परिचय पत्र या पैनकार्ड की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना होगा, अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा। लिखित परीक्षा/ कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।

{11} प्राप्त आवेदनों की कूट परीक्षण उपरांत पात्र एवं अपात्र आवेदकों की सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय के वेबसाईट districts.ecourts.gov.in/balod तथा सूचना पटल पर प्रकाशित किया जावेगा। उक्त प्रकाशन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो आवेदक 07 (सात) दिवस के भीतर स्वतः उपस्थित होकर लिखित आपत्ति चयन समिति के समक्ष पेश कर सकेंगे। अंतिम पात्र सूची आपत्ति के निराकरण पश्चात् वेबसाईट पर प्रकाशित/अपलोड की जायेगी।

{12} आवेदक परीक्षा के लिये निर्धारित तिथि पर प्रवेश पत्र के प्रोफार्मा को स्वयं भरकर परीक्षा के लिये निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व पंजीयन हेतु उपस्थित होगें, विलम्ब से उपस्थित होने पर परीक्षा में शामिल नहीं किया जावेगा।

{13} उम्मीदवारों को पृथक से कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जावेगा। उम्मीदवारों का पंजीयन क्रमांक तथा अनुक्रमांक की जानकारी जिला न्यायालय के वेबसाईट districts.ecourts.gov.in/balod तथा सूचना पटल पर चस्पा किया जावेगा, जिसे ही अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र पर अंकित करना है।

{14} लिखित/कौशल परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है।

महत्वपूर्ण टीप :– "यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में शामिल किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर उम्मीदवारी समाप्त मानी जावेगी।" नियुक्ति के पश्चात् कोई सारवान जानकारी छुपाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

13/12/22

अध्यक्ष
भर्ती एवं चयन समिति
जिला न्यायालय बालोद,
जिला–बालोद {छ.ग.}

स्थान : बालोद
दिनांक 13/12/22

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बालोद (छ.ग.)

स्टेनोग्राफर {हिन्दी} एवं सहायक ग्रेड–3 के पदों पर नियुक्ति हेतु

आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट फोटो

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बालोद, जिला बालोद {छ0ग0}.

01 आवेदित पद का नाम – ....

02 आवेदक का पूरा नाम {हिन्दी में} – ....

03 अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में पूरा नाम – ....

04 लिंग {पुरूष / महिला / अन्य} – ....

05 पिता / पति का नाम – ....

06 {अ}. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता – ....

....

....

{ब}. स्थाई पता – ....

....

....

07 {अ}. जन्म तिथि {अंकों में} – ....

{ब}. जन्म तिथि {शब्दों में} – ....

{स}.दिनांक–01.12.2022 को आयु

(यदि आवेदक आयु में छूट का कोई दावा करता है तो उक्त के संबंध में आधार एवं दस्तावेज संलग्न करें) वर्ष–.................माह–..............दिन–...................

08 क्या आवेदक छ.ग. राज्य का मूल निवासी– है. ....

{सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें}

09 क्या आवेदक छ.ग. राज्य के लिये घोषित – ....

अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ।

{सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति–प्रमाण पत्र संलग्न करें}

10 अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा– – ....

वर्ग अंकित करें

11 क्या आवेदक दिव्यांग है । – ....

{यदि हां तो जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड का नवीनतम प्रमाण पत्र संलग्न करें}

12 क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है । – ....

{यदि हां तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें}

13 रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन– कमांक व दिनांक ....

14 रोजगार कार्यालय का नाम – ....

15 क्या आप विवाहित हैं ? हॉ/नहीं – ....

16 यदि विवाहित हैं, तो विवाह की तिथि – ....

17 जीवित बच्चों की संख्या–

कमांक	नाम	लिंग (महिला/पुरूष/अन्य)	जन्म तिथि
1	2	3	4

18 **शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता** – ....

क.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्राप्तांक का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

19 अनुभव यदि कोई हो (प्रमाण–पत्र संलग्न करें।) – ....

....

....

....

....

20 क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय–संस्था में सेवारत् है? यदि हॉ तो नियोक्ता का अनापत्ति/अनुमति संलग्न करें । ....

21 संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :– {स्वयं या राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिये} – ....

01. .... 02. ....

03. .... 04. ....

05. .... 06. ....

07. .... 08. ....

09. .... 10. ....

दिनांक– ....

स्थान– ....

आवेदक का हस्ताक्षर ....

नाम एवं पूरा पता ....

....

....

मोबाईल नं. ....

ई–मेल ....

(अनिवार्य रूप से भरे)

<u>// घोषणा पत्र //</u>

मैं...पति/पत्नी/पिता/अभिभावक.. सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करती/करता हूं कि आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णतया सत्य है। चयन के किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अपूर्ण या असत्य पाये जाने पर आवेदन पत्र या नियुक्ति रद्द किये जाने के लिये मैं पूर्णतः जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी ।

स्थान–

दिनांक– *आवेदक का हस्ताक्षर* ....

कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला बालोद {छ0ग0}

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो

|| प्रवेश–पत्र ||

स्टेनोग्राफर हिन्दी/सहायक ग्रेड–3

आवेदन का पंजीयन कमांक	:–	
परीक्षार्थी का अनुकमांक	:–	

आवेदित पद का नाम :– ....

अभ्यर्थी का नाम :– ....

पिता/पति का नाम :– ....

वर्ग– :– ....

{अनारक्षित/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व}

परीक्षा तिथि :– ....

समय :– ....

परीक्षा केन्द्र :– ....

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

कार्यालयीन उपयोग हेतु

वास्ते/जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बालोद (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1/ परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र मे परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व पंजीयन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है। विलम्ब से उपस्थित होने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

2/ परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले पेन का ही उपयोग करें । परीक्षार्थी उक्त प्रवेश पत्र को स्वयं भरकर साथ लेकर आवेगा। पृथक से प्रवेश–पत्र नहीं भेजा जावेगा। आवेदन पत्र के पंजीयन कमांक तथा अनुकमांक की जानकारी जिला न्यायालय के वेबसाइट districts.ecourts.gov.in/balod एवं सूचना पटल से ली जा सकेगी।

3/ परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र--शस्त्र वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केलकूलेटर, मोबाइल लॉग टेबल, ब्लू टूथ या अन्य कोई इलेक्ट्रनिक डिवाइस आदि रखना वर्जित है अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

4/ प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है। एक अतिरिक्त फोटो साथ लेकर आवश्यक रूप से आवें।

5/ परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।

———000———